चोट पहुंचाने व जाति सूचक गाली देने के अपराध में आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 2,500/- रू0 का अर्थदण्ड

(दैनिक अयोध्या टाइम्स) श्रावस्ती।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी मॉनीटरिंग अपर महानिदेशक गोरखपुर जोन,पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा भी की जा रही है।

उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन, शासकीय अधिवक्ता तथा कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयास एवं की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 23 दिसंबर 2024 को न्यायालय ASJ/SC/ST जनपद श्रावस्ती ने थाना को0 भिनगा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 813/2012 धारा 336,504,506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट बनाम प्रधान पुत्र जाहिद खाँ नि0 बंठिहवा थाना को0 भिनगा जपनद श्रावस्ती को वादी को ईंट मारकर चोट पहुंचाने व जाति सूचक गाली देने के अपराध में 02 वर्ष का कारावास व 2,500/– रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 भिनगा पर 02.10.2012 को अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना नियत समय पर सम्पादित कर माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी थी।